संख्या –972 /V–2013–02(आ0)/2013

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– आयुक्त,
गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल,
उत्तराखण्ड ।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आवास अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 25 जून ~~मई~~, 2013

विषयः उत्तराखण्ड स्थित आवास एवं विकास परिषद की परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–3152/V/आ0–2006–412(आ0)/2001, दिनांक 07 दिसम्बर, 2006, पत्र संख्या–3479/V/आ0–2006–412(आ0)/2001, दिनांक 15 दिसम्बर, 2006 एवं शासनादेश संख्या–454/ /2010–412(आ0)/2006, दिनांक 18 फरवरी, 2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत किए गये उक्त सन्दर्भित प्रतिबन्धात्मक पत्रों/आदेशों का आशय यह है कि उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में स्थित उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा नीलामी अथवा आवंटन के माध्यम से अग्रेत्तर निस्तारण को प्रतिबन्धित किया जाय। इन आदेशों का कदाचित यह आशय कभी नहीं रहा कि उत्तराखण्ड राज्य द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2006 में प्रतिबन्ध लगाये जाने के पूर्व ही उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा जो परिसम्पत्तियां निस्तारित कर दी गयी हों, उनके सम्बन्ध में अग्रेत्तर प्रक्रियाएं यथा, आबंटियों के पक्ष में रजिस्ट्री आदि पर भी रोक लगा दी जाय। ऐसा करना पूर्व आबंटियों के हित संरक्षण की दृष्टि से कदापि उचित एवं विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2006 के पूर्व निस्तारित परिसम्पत्तियों को आवंटियों के पक्ष में पंजीकृत किये जाने की कार्यवाही में उत्तराखण्ड शासन को कोई आपत्ति नहीं है तथा दिनांक 07 दिसम्बर, 2006 के पश्चात निस्तारित परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में अग्रेत्तर प्रक्रियाएं यथा आवंटियों के पक्ष में रजिस्ट्री/विक्रय पत्र, निर्माण एवं विकास आदि पर रोक अग्रिम आदेशों तक यथावत् लागू रहेगी।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
सचिव ।

D:\Awas-Section-2\MDDA\MDDA-LETTER-2013.doc